A-28
Ti- 3/20

कार्यालय टिप्पणी

गोपाल / कानूनात

22/3/22 पत्रावली पेश है। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का मूलवाद सहायक कलक्टर जयपुर सिटी में दायर किया था। मुझ दीवान पर ति मूलवाद का ही भार है। प्रार्थना है कि केवल चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। मूलवाद के मजमून से प्रार्थी का प्रश्न कब्जे निषेधाज्ञा सहायक कलक्टर जयपुर सिटी में दायर किया गया है। पत्रावली लेमल शुमार होकर दफ्तर के क्रम होकर दाखिल दफ्तर है। निर्णय आज दिनांक 22/3/22 को लिखाया जाकर जारी & पालन सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:24:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner